संख्या-21/2017/आर-470/26-3-2017-10(1)/2013टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक

जनजाति विकास,

उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 मार्च 2017

विषयः- सिकिल सेल एनीमिया के प्रबन्धन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-311/ज.जा.वि/2016-17, दिनांक-16.02.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक''-2225-02-796-01-0104-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-250.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष उक्त योजनान्तर्गत सिकिल सेल एनीमिया के प्रबन्धन हेतु श्री राज्यपाल महोदय रूपया-1,67,564/-(रूपया एक लाख सरसठ हजार पांच सौ चौसठ मात्र) की धनराशि निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र. स.	कुल छात्र संख्या हेतु	सामग्री का नाम	संख्या	दर रू0 प्रति समान	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	1892	माइक्रोपिपेट्स 1000	22	2880/-	63,360/-
2		माइक्रोपिपेट्स 2000	22	2882/-	63,360/-
3		टिप्स 1000	06	500/-	3,000/-
4		टिप्स 200	04	400/-	1,600/-
5		डिस्टल्ड वाटर	09	135/-	1,215/-
6		काटन स्वाव	30	200/-	6,000/-
7		लेनसेट्स	30	300/-	9,000/-
8		सोडियम हाइपोलोराईट	09	750/-	6,750/-
9		वायल	1000	01/-	1000/-
10		एन्टीकोग्लूएण्ट	500 एम.एल.	800/-	800/-
11		टिशू पेपर	10 पैक	350/-	3,500/-
					1,59,585/-
				5 प्रतिशत वैट	7,979/-
					1,67,564/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि से जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का सिकिल सेल एनीमिया का परीक्षण कराया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति अनियमितता मानी जायेगी।

(2)-स्वास्थ परीक्षण हेतु किट एवं अन्य सामग्रियों का क्रय चिकित्सा विभाग के सुसंगत शासनादेश एवं स्टोर पर्चेज रूल सम्बन्धी सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-81 के लेखा शीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-21/2017/आर-470(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- केन्द्रीय संसाधन अनुभाग/गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in